

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 32/2023

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जैन निवासी 53 धर्म सी मार्ग वार्ड नं. 8 बाड़मेर (मैसर्स पदमावती सेल्स एजेंसी, कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर का विक्रेता एवं मालिक)
2. विककी कुमार खटवानी पुत्र श्री हरीराम निवासी बंगला 5 रिवेरा 51 बी/एच रोहिणी सोसाईटी, नाना चिलोडा अहमदाबाद सिटी 382330 (मैसर्स शिव गंगा फूड प्रोजेक्ट ए/4 अर्बूदा इस्टेट, नरोडा जीआईडीसी फेज 2 मुथिया रेल्वे क्रॉसिंग के पास अहमदाबाद गुजरात 382330) (भागीदार)
3. धीरज कुमार खटवानी पुत्र श्री हरीराम निवासी बंगला 5 रिवेरा 51 बी/एच रोहिणी सोसाईटी, नाना चिलोडा अहमदाबाद सिटी 382330 (मैसर्स शिव गंगा फूड प्रोजेक्ट ए/4 अर्बूदा इस्टेट, नरोडा जीआईडीसी फेज 2 मुथिया रेल्वे क्रॉसिंग के पास अहमदाबाद गुजरात 382330) (भागीदार)
4. मैसर्स शिव गंगा फूड प्रोजेक्ट ए/4 अर्बूदा इस्टेट, नरोडा जीआईडीसी फेज 2 मुथिया रेल्वे क्रॉसिंग के पास अहमदाबाद गुजरात 382330 (भागीदार फर्म)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री चन्द्रभान सिंह महेचा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित।



आदेश

दिनांक : 27.05.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान मैसर्स पदमावती सेल्स एजेंसी, कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 01.03.2023 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ पापड (वीआईपी) के 30-30 किलोग्राम वाले 2 प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए पाये, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 2 किलो पापड (वीआईपी) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1882 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ पापड (वीआईपी) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ पापड (वीआईपी) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।
2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि उक्त खाद्य पदार्थ मानक स्तर के अनुसार निर्मित कर पैकिंग किये जाते हैं एवं किसी प्रकार का कोई हानिकारक पदार्थ इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। मौसम परिवर्तन के अनुसार निर्मित खाद्य पदार्थ में मामूली सा परिवर्तन होने की संभावना रहती है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण निरस्त फरमाया जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य




पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 14.03.2023 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब में प्रकट किया है कि खाद्य पदार्थ मानक स्तर के अनुसार निर्मित कर पैकिंग किये जाते हैं एवं किसी प्रकार का कोई हानिकारक पदार्थ इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। मौसम परिवर्तन के अनुसार निर्मित खाद्य पदार्थ में मामूली सा परिवर्तन होने की संभावना रहती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(राजेन्द्र सिंह चांदावत)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर